भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1218

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड

†1218. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) के अंतर्गत प्रमाणित पर्यटन स्थलों और सेवाप्रदाताओं की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और सहायता प्राप्त प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील या संरक्षित क्षेत्रों में हितधारकों और स्थानीय समुदायों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्रमाणित गंतव्यों पर कार्बन फुटप्रिंट, अपशिष्ट उत्पादन या संसाधनों की खपत में कमी का आकलन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र या निष्पादन संकेतक विकसित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के तीन प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् टूर ऑपरेटर, आवास और समुद्र तट, बैकवाटर, झील और नदी वाले क्षेत्र के लिए भारत के लिए एक व्यापक सतत पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) शुरू किया है। हितधारकों द्वारा इस मानदंड को अपनाया गया है। इसमें पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटरों को सर्वोत्तम पर्यावरण और विरासत संरक्षण मानकों के अनुरूप सतत पर्यटन संबंधी प्रथाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए, "सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन तथा सतत पर्यटन" के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ पर हस्ताक्षर करना होगा, ताकि वर्तमान पर्यटन संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का अधिकतम लाभ स्थानीय समुदाय और भविष्य के सतत उपयोग दोनों के लिए मिल सके। आज की तारीख

में, 2787 आवास इकाइयां और 1633 पर्यटन सेवा प्रदाता पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

मंत्रालय द्वारा सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की गई तथा उसे राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया। इस रणनीति के अनुरूप, पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को स्थायी पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ट्रैवल फॉर लाइफ (टीएफएल) कार्यक्रम शुरू किया गया। सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के अंतर्गत अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 2023-24 के दौरान पांच रामसर स्थलों [सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा), यशवंत सागर बांध और सिरपुर झील, इंदौर (मध्य प्रदेश), भितरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील (ओडिशा)] में वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम (एएलपी) और पर्यावरण नाविक प्रमाणपत्र (पीएनसी) नामक विषय पर 210 व्यक्तियों के लिए 15-15 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्य के लिए दोनों मंत्रालयों के समन्वय का उद्देश्य स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन के विकास में सहायता देना है।

पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, होटलों को परियोजना स्तर पर ही विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण, प्रशीतन और वातानुकूलन के लिए गैर-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) उपकरणों के प्रयोग, ऊर्जा और जल संरक्षण के उपाय आदि को शामिल करना आवश्यक है। देश में स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया रूप दिया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत एक उप-योजना- "चुनौती आधारित गंतव्य विकास" का उद्देश्य पर्यटन वैल्यू चेन में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक गंतव्य का समग्र विकास करना है, ताकि हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और उत्तरदायी स्थलों के रूप में परिवर्तित किया जा सके।

*****